भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2661

17.03.2025 को उत्तर के लिए

ऑटोमोटिव क्षेत्र में सस्टेनेबल सर्कुलरिटी

2661. श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर वाहन क्षेत्र में सस्टेनेबल सर्कुलरिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले नए नीतिगत उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मोटर वाहन क्षेत्र में पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वाहन निर्माताओं को हरित उत्पादन पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई नए प्रोत्साहन या राजसहायता की योजना बनाई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मोटर वाहन उद्योग में सतत और समग्र आर्थिक प्रथाओं में भारत को अग्रणी बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने पुराने, अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रीति से हटाने के लिए एक पारिप्रणाली के सृजन हेतु वाहन स्क्रैपिंग नीति प्रतिपादित की है। इस नीति का लक्ष्य, अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को उनकी उपयुक्तता के आधार पर स्क्रैप करना है। इस नीति का उद्देश्य स्वचालित उद्योग के लिए कम लागत वाली कच्ची सामग्रियों की उपलब्धता को बढ़ावा देना और पुराने वाहनों को स्क्रैप करके चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (आरवीएसएफ) की स्थापना के लिए सा.का.नि. 653(अ), तारीख 23.09.2021 के द्वारा मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण, स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों की उपयुक्तता के परीक्षण की प्रक्रिया और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों द्वारा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया के संबंध में सा.का.नि. 652(अ), तारीख 23.09.2021 के द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं।

विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अभिकरणों द्वारा क्रियान्वयन किए जाने के लिए नीति आयोग द्वारा प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी कार्य योजना प्रतिपादित की गई है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) सहित अपशिष्ट बैटरी के पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन हेतु का.आ. 3984(अ), तारीख 24.08.2022 के द्वारा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 प्रकाशित किए हैं। इन नियमों में वाहनों की बैटरी सहित सभी प्रकार की बैटरी को शामिल किया गया है।

इन नियमों के तहत, उत्पादक अपशिष्ट बैटरी के संग्रह और पुनर्चक्रण/नवीकरण के लिए ईपीआर के तौर पर उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा, उत्पादकों के लिए नई बैटरियों का विनिर्माण करने के दौरान अपशिष्ट से पुनर्प्राप्त सामग्रियों का उपयोग करना अधिदेशित किया गया है।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों के पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन के लिए का.आ. 98(अ), तारीख 06.01.2025 के द्वारा पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहन) नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं। उक्त नियमों के तहत, उत्पादकों के लिए प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों के स्क्रैपिंग संबंधी विनिर्दिष्ट लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए उन वाहनों के संबंध में ईपीआर के दायित्व को पूरा करना अधिदेशित किया गया है जिन्हें उत्पादक स्व-उपयोग के लिए लगाए गए वाहन सहित घरेलू बाजार में लाया है या लाता है।

उत्पादकों/ओईएम के लिए ईपीआर को या तो अपने स्वयं के आरवीएसएफ अथवा आरवीएसएफ वाली किसी संस्था द्वारा तैयार किए गए ईपीआर संबंधी प्रमाणपत्रों की खरीद के माध्यम से पूरा करना अधिदेशित किया गया है। आरवीएसएफ, प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों से उत्सर्जित इस्पात की मात्रा के आधार पर, प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके प्रत्येक वाहन का प्रसंस्करण करने पर उत्पादकों के साथ ईपीआर प्रमाणपत्रों का केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर आदान-प्रदान कर सकते हैं।

आरवीएसएफ में इन वाहनों को स्क्रैप करने से प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों से अपशिष्ट उत्सर्जन कम होता है। इससे आरवीएसएफ को विभिन्न श्रेणियों के अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करने और पर्यावरणीय अनुकूल रीति से पुनर्चक्रित न किए जा सकने वाले अपशिष्टों का निपटान करना भी सुगम हो जाता है। ऐसी पुनर्चक्रित सामग्रियों का उपयोग नए वाहनों या अन्य उत्पादों के विनिर्माण में करके प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम और अपशिष्ट को न्यून किया जा सकता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सा.का.नि. 714(अ), तारीख 04.10.2021 के द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन (तेईसवां संशोधन) नियम, 2021 अधिसूचित किए, जिनमें प्रावधान है कि यदि नए वाहन का खरीदार प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहन के संबंध में 'जमा प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करता है तो नए वाहन पर पंजीकरण शुल्क की उगाही नहीं की जाएगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सा.का.नि. 720 (अ) तारीख 05.10.2021 के द्वारा अधिसूचित केंद्रीय मोटर वाहन (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2021 में मोटर वाहन कर पर, 'जमा प्रमाणपत्र' के नाम पर खरीदे गए गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 25% तक और परिवहन वाहनों के मामले में 15% तक की रियायत प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित अधिसूचनाएं/परामर्शिकाएं जारी की हैं :

(क) का.आ. 5333(अ), तारीख 18.10.2018 के द्वारा, बैटरी चालित परिवहन वाहनों तथा इथेनॉल और मेथनॉल ईंधनों से चलने वाले परिवहन वाहनों को परमिट प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट दी गई।

(ख) सा.का.नि. 525(अ), तारीख 02.08.2021 के द्वारा, बैटरी चालित वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी या नवीकृत कराने और नए पंजीकरण चिह्न प्रदान किए जाने के उद्देश्य से शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

(ग) सा.का.नि. 302(अ), तारीख 18.04.2023 के द्वारा, बैटरी चालित वाहनों के लिए किसी भी प्रकार के परमिट शुल्क का भुगतान किए बिना अखिल भारतीय पर्यटक परमिट जारी करने की अनुमति दी गई है।

(घ) सा.का.नि. 749(अ), तारीख 07.08.2018 के द्वारा, बैटरी चालित वाहनों के लिए परिवहन वाहनों हेतु हरे रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में और अन्य सभी मामलों में, हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में पंजीकरण चिह्न जारी करने की अनुमति दी गई है।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने बीते दो वर्ष की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय से देश में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 29.09.2024 को 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम' शुरू की। इस स्कीम के तहत ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य नए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 3,679 करोड़ रुपये की रियायत या मांग आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने दिनांक 16.08.2023 को 'पीएम ई-बस सेवा' नामक एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को प्रचालन में लाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) से शहरी क्षेत्रों में शहरी बस सेवा प्रचालन को बढ़ाना है।

*****